

6. If the institution contravenes any of the above conditions or the provisions of the NCTE Act, Rules, Regulations and Orders made or issued there under, the Regional Committee shall withdraw the recognition as stipulated provisions of Section 17(1) of the NCTE Act.

7. The institution shall maintain & update its Web-site as per provisions of NCTE Regulations and always display following as mandatory disclosure:-

- (i) Copy of the Application Form
- (ii) Land and Building Particulars
- (iii) Staff Profile
- (iv) Recognition letter
- (v) Information for having fulfilled the norms & standard and other required conditions.

(Dr. Ajit Singh Rana)
Regional Director
Tel. No. 0141 2623501

The Manager to Govt. of India
Department of Publications, (Gazette Section)
Civil Lines, Delhi - 110 054

C.C.

1. The Principal, J. R. Institute of Education, Village & Post, Jainpur Jattan, PO Ladwa, Distt. Kurukshetra, Haryana
2. The Secretary, Education, Govt. of Haryana, Secretariat, Chandigarh
3. The Director, SCERT, Gurgaon, Haryana
4. The Director, Directorate of Higher Education, I/c Teacher Education, Govt. of Haryana, Directorate, Haryana
5. The Secretary, Dept. of Elementary Education and Literacy, Ministry of Human Resource Development, Govt. of India, Shastri Bhawan, New Delhi-110 001
6. The US (Computer), National Council for Teacher Education, Hans Bhawan, Wing-II, Bahadurshah Zafar Marg, New Delhi - 110 002.
7. Office Order file/ Institution file

Regional Director

NCTE • NRC • JAIPUR

A003597

हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी

(आई.एस.ओ. 9001:2008 द्वारा प्रमाणित संस्थान)

प्रेषक :

सचिव,
हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड,
भिवानी-127021

सेवा में,

प्राचार्य

J.R. Institute of Education
Jainpur Jattan (Kurukshetra)

क्रमांक...511005.../डी.एड.सम्बद्धता

दिनांक...09-10-2020

महोदय/महोदया,

आपकी संस्था को महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक एवं कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र द्वारा 2009-10 में दी गई अस्थायी सम्बद्धता के आधार पर शैक्षिक सत्र...2019-20...के लिये इस बोर्ड द्वारा निम्न शर्तों पर अस्थायी सम्बद्धता प्रदान की जाती है:-

1. संस्था बोर्ड/ शिक्षा विभाग द्वारा बनाए गए पाठ्यक्रम एवं परीक्षाओं से सम्बन्धित जो निर्देश समय - समय पर जारी किये जाते हैं, उनकी दृढ़ता से पालन करेगी।
2. बोर्ड/शिक्षा विभाग की पूर्व स्वीकृति के बिना संस्था किसी भी स्तर पर पाठ्य योजना में किसी भी प्रकार का संशोधन/ परिवर्तन नहीं करेगी।
3. संस्था परीक्षाओं के संचालन के लिए अपनी संस्था का भवन/फर्नीचर एवं अपने स्टाफ की सेवाएं बोर्ड को उपलब्ध करवायेगी। बोर्ड द्वारा भवन एवं फर्नीचर का किराया आदि नहीं दिया जायेगा।
4. संस्था बोर्ड द्वारा संचालित परीक्षाओं को सुचारु रूप से चलाने के लिए बोर्ड को पूर्ण सहयोग देगी जिससे मुकल / इन्टरनेशनल एवं अन्य अनियमितताओं पर पूर्ण नियन्त्रण किया जा सके।
5. बोर्ड के निर्देश पर शिक्षकों/छात्रों का रिकार्ड तथ्यों की जांच हेतु उपलब्ध करवाया जायेगा।
6. संस्था का निरीक्षण बोर्ड द्वारा गठित समेटी / नियुक्त अधिकारी द्वारा किया जा सकता है।
7. संस्था द्वारा एन.सी.टी.ई. के निर्देशानुसार गवर्निंग बॉडी का गठन किया जाना अनिवार्य है।
8. स्वीकृत सीटों से अधिक छात्रों को प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
9. संस्था अपने मूल स्थान से भवन को दूसरी जगह एन.सी.टी.ई. की स्वीकृति के बिना शिफ्ट नहीं करेगी।
10. अस्थायी सम्बद्धता जारी रखने के लिये प्रत्येक शैक्षिक सत्र में 50000/- रुपये सम्बद्धता शुल्क भेजा जाना आवश्यक है।
11. संस्था द्वारा इन नियमों का पालन नहीं करने की अवस्था में बोर्ड को संस्था की सम्बद्धता रद्द करने का पूर्ण अधिकार होगा।

भवदीय

अधीक्षक (सम्बद्धता)

कृते: सचिव